मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ -8/2009/नियम/चार   भोपाल, दिनांक   20 दिसम्बर,2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय : - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अन्तर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन एरियर्स का भुगतान।

----00----

विभाग द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 28 फरवरी 2009 द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 एवं इससे संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं। तदनुसार दिनांक 1-9-2008 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा रहा है । अब राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी 2006 से दिनांक 31/08/2008 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का नकद भुगतान निम्नानुसार 5 समान वार्षिक किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	किश्त	देय भुगतान की दिनांक
01.	प्रथम किश्त	01 मई 2010
02.	द्वितीय किश्त	01 मई 2011
03.	तृतीय किश्त	01 मई 2012
04.	चतुर्थ किश्त	01 मई 2013
05.	अंतिम किश्त	01 मई 2014

2. वेतन ऐरियर्स का भुगतान निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :-

(क) शासकीय सेवक की पदस्थापना 01मई 2010 कों जिस कार्यालय में होगी, उसी कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण अवधि के वेतन एरियर्स की गणना पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन + ग्रेड पे पर पूर्व में भुगतान की गई राशि (वेतन, महँगाई वेतन तथा महँगाई भत्ता) समायोजित करते हुये की जावेगी । देय राशि की प्रविष्टि गणना पत्रक सहित संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। एरियर्स राशि की जानकारी संबंधित शासकीय सेवक एवं शासकीय सेवक के दिवंगत होने की स्थिति में उसके परिवार को उपलब्ध कराई जायेगी।

sunita/66*//paripat/
12/20/2009

(ख) एरियर्स के भुगतान को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से निर्णय लिया गया है कि वेतन एरियर्स की अवधि में शासकीय सेवक की जिस-जिस कार्यालय में पदस्थापना रही है, उस कार्यालय में पदस्थापना अवधि में आहरित वेतन की राशि की जानकारी पूर्ण विवरण सहित (यथा कोषालय वाउचर क्रमांक दिनांक) प्राप्त की जाकर इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जायेगी। समय-समय पर वेतन एरियर्स के भुगतान की प्रविष्टियॉ सेवा पुस्तिका में की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

(ग) किसी शासकीय सेवक को एरियर की प्रथम/अनुवर्ती, किश्त / किश्तों के भुगतान पश्चात् अन्यत्र पदस्थापना होने पर नवीन कार्यालय द्वारा उपरोक्त के आधार पर एरियर्स की शेष किश्तों का भुगतान किया जाकर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जायेगी।

3. शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु, दिनांक 1/1/2006 से दिनांक 01/05/2014 के मध्य होने की स्थिति में, उन्हें वेतन के शेष रहे एरियर्स का भुगतान सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को एकमुश्त नगद रुप में शासकीय सेवक अथवा परिवार जैसी भी स्थिति हो, को किया जायगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

sunita/67*//paripat/
12/20/2009

पृष्ठा.क्रमांक : एफ -8 /2009/नियम/चार　　　　भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर ,2009

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

sunita/68*//paripat/
12/20/2009